

सर्वोच्च प्राथमिकता / कोर्टकेस  
संख्या-रिट-204 / 1-2-2012-रा0-2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद उ०प्र०,  
लखनऊ।

2-मण्डलायुक्त,  
मेरठ।

3-जिलाधिकारी,  
हापुड़ / गौतमबुद्ध नगर / गाजियाबाद / मेरठ।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2012

विषय:- रिट याचिका संख्या-33751 / 2012 अनिल कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में  
मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय / आदेश दिनांक 17-07-2012 के  
अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं आपको पृष्ठोक्त श्री सी० बी० यादव, अपर महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-मेमो / एएजी / पीएस / 2012, दिनांक 9 अगस्त, 2012 के संदर्भ में अवगत कराना है कि समय-समय पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या-384 / 1-2-2011-रा-2 दिनांक 23 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या-213 / 1-2-2012-रा०-2 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 शासनादेश संख्या-रिट -186 / 1-2-2012-रा-2 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 तथा शासनादेश संख्या-रिट-26 / 1-2-2012-रा-2 दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा सार्वजनिक भूमि चकरोड, नाली, तालाबा / पोखरों एवं भूलेख नियमावली में उल्लिखित श्रेणी-6(3) तथा अन्य जनोपयोगी भूमियों पर से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी परिपेक्ष्य में रिट याचिका संख्या-33751 / 2012 अनिल कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय / आदेश दिनांक 17-07-2012 में अतिक्रमण के विषय में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिये हैं कि ऐसे अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए तथा राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण एवं किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाए।



2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-7-2012 को संज्ञान में लेते हुए अनुरोध है कि सम्बन्धित को यथोचित निर्देश देते हुए उपरोक्तानुसार मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से मा० उच्च न्यायालय एवं राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1

(किशन सिंह अटोरिया)  
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि श्री सी० बी० यादव, अपर महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-मेमो/एएजी/पीएस/2012, दिनांक 9 अगस्त, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,



(किशन सिंह अटोरिया)  
प्रमुख सचिव।